बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (पटना) 02–115/2025–.......................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...........................

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप के पत्रांक सं0–6912, दिनांक–07.11.2025 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर **श्रीमती निशा यादव, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगों, बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) सम्प्रति प्रतिनियुक्त भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय** के विरूद्ध बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनधिकृत रूप से एवं मनमाने तरीके से अनुपस्थित रहने, कार्यालय में विलम्ब से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने एवं कार्यालय छोड़ते समय बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने, दिनांक–12.09.2025 से लगातार एवं बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा पदीय दायित्वों के निष्पादन में लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–241(15), दिनांक–26.02.2026 द्वारा श्रीमती यादव से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती यादव द्वारा दिनांक–05.03.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में गठित आरोपों एवं श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्रीमती यादव द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों यथाः– अपने सासु माँ एवं पति की बीमारी का हवाला देते हुए वगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक–12.09.2025 के बाद से लगातार बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रही है। किसी भी सरकारी सेवक को अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर अवकाश में प्रस्थान करना होता है जबकि श्रीमती यादव द्वारा बिना अभ्यावेदन समर्पित किए एवं वगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के स्वेच्छाचारिता पूर्वक कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा गया है। बिहार सेवा संहिता के नियम–152 में प्रावधानित है कि छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है, परंतु श्रीमती यादव द्वारा अवकाश का अभ्यावेदन समर्पित किए बगैर एवं अवकाश स्वीकृत कराये बगैर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा गया जो बिहार सेवा संहिता के नियम–152 का उल्लंघन है। अतः आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "निन्दन" एवं "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार **श्रीमती निशा यादव**, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगों, बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) **सम्प्रति प्रतिनियुक्त भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(i) के तहत **"निन्दन"** (आरोप वर्ष–2025) एवं नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Nisha yadav(survey)_संचयी प्रभाव के बिना 1_Nindan.doc

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–115/2025–525(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–13.4.26

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, वैशाली/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना एवं वैशाली/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)/श्रीमती निशा यादव,** राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगों बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) **(गृह पता – पिता श्री रामेश्वर प्रसाद, 171, डिफेंस कॉलोनी, पो0–लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, पटना, पिन–800020)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।